## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 73/2021
दायर दिनांक :– 14.09.2021

अनवान

कमला देवी पत्नि रामदयाल मीणा नि. गोरदा तह. केकडी

वादी.........

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि मथुरालाल मीणा नि. टीटोडा माफी तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

**:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::**

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादी

दिनांक 04.07.2022

**:: निर्णय ::**

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तख्तपुरा प0 ह0 गांगीथला तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 173/1 कुल किता 01 रकबा 1.7725 हैक्टेयर कृषि भुमि वादी के खाते में दर्ज है। मार्च 2021 में वादीया की कृषि भूमि में सीमा बिन्दु को लेकर प्रतिवादी सं. 1 व इसके परिवार द्वारा विवाद करने तथा वादीया के कब्जे काश्त की जमीन के सीमा बिन्दु के अन्दर घुसकर कुछ भू भाग पर अतिचार करने लगे तब वादीया ने प्रतिवादी सं. 1 को मना किया तो प्रतिवादी सं. 1 ने कहा की आप अपनी जमीन की पत्थरगढी करवा लो तथा कब्जा हमारी तरफ निकलता है तो हम कब्जा छोड देगे जिस पर वादीया ने न्यायालय श्रीमान के यहां पत्थरगढी कराने हेतु वाद पत्र प्रकरण सं. 339/21 पेश किया जिस पर मान्य न्यायालय ने वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया उक्त आदेश की पालना में आदेशानुसार दिनांक 06.07.2021 को राजकीय प्राधिकृत अधिकारी गिरदावर हल्का व पटवार हल्का द्वारा आराजी सं. 173/1 रकबा 10–19 बीघा कृषि भूमि की मुस्तकील निशानात आराजी खसरा सं. 178/1 गे मु आचा, चा.न. 115 गेमु आचा व ख. न. 123 व 124 के बीच की मेड से जरीब चलाकर वादीया एंव मौका पर्चा में उपस्थित मौतबिरान की मौजूदगी में पत्थरगढी कर मौके पर पत्थर गढवाये गये तथा पत्थरगढी मौका पर्चा में नजरी नक्शा अनुसार आराजी नं. 173/1 रकबा 10–19 बीघा भूमि में से उत्तरी मेड के सहारे सहारे प्रतिवादी सं. 1 प्रेम देवी मीणा का करीब 7 बिस्वा भू भाग पर जो पत्थरगढी मौका पर्चा में दर्शा रखा भू भाग पर अवैध अतिचार/कब्जा कर रखा है तथा पत्थरगढी होने के उपरान्त वादीया ने प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कर रखा अवैध कब्जा/अतिचार को छोडने हेतु प्रतिवादी सं. 1 को कहा तो प्रतिवादी सं. 1 ने कब्जा छोडने से मना कर दिया इसलिये उक्त वर्णित कृषि आराजी सं. 173/1 रकबा 1.7725 हैक्टयेर में पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार उत्तरी मेड के सहारे सहारे कर रखा 7 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कर रखा अवैध कब्जा/अतिचार से बेदखल कर पुनः कब्जा वादीया को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिकी वादीया के पक्ष में पारित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं एवं बाद कब्जा वादीया को दिलाने पर प्रतिवादी सं. 1 वादीया के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, न डलवावे, न नौकर ऐजेन्ट रिश्तेदार डाले कि स्थायी

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी किया जाना आवश्यक हैं एवं न्याय संगत है। वाद हेतुक दिनांक 06.07.21 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कब्जा छोडने से मना करने से वाद हेतुक दिनांक 06.07.21 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः उक्त भूमि आ. न. 173/1 रकबा 1.7725 हैक्टेयर कृषि भूमि के उत्तरी मेड के सहारे सहारे प्रतिवादी सं. 1 का करीबन 7 बिस्वा भू भाग पर कर रखा अवैध कब्जा से बेदखल कर कब्जा पुनः वादी को दिलाने की घोषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित करना फरमावे। एवं वाद कब्जा पुनः वादी को दिलाने पर प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2074 से 2077 की प्रति प्रदर्श 1 व 1 ए. नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, दिनांक 06.07.21 को कराई गई पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रदर्श 3 है जो शामिल फाईल है। एवं ब्यान गवाह में कमला, पी. डब्ल्यु 1, रामदयाल पी. डब्ल्यु 2 के ब्यान करवाये गये, जिसे शा0 फा0 किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी बहस के दौरान बताया कि वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी सं 1 का जबरन बनाया अवैध कब्जा हटवाकर एवं प्रतिवादी 1 को बेदखल करा उक्त वर्णित भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिकी वादी के पक्ष में पारित की जावें एवं बाद कब्जा वादी को दिलाने पर प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त मे बाधा न डाले, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये हेतु निवेदन किया गया।

मैने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 173/1 कुल किता 01 रकबा 1.7725 हैक्टेयर कृषि भुमि वादी के नाम दर्ज है। आ0 स0 173/1 के 0–07 बीघा भू भाग पर प्रतिवादी सं. 1 ने मौके पर कब्जा कर लिया है, जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श 3 से होती है। प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि पर अतिचारी है, जिन्होनें बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अतः वादी अपनी भूमि से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कराने का अधिकार रखते है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी की खातेदारी भुमि पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कब्जा कर लेने से वादी कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम तख्तपुरा प0 ह0 गांगीथला तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 173/1 कुल किता 01 रकबा 1.7725 हैक्टेयर में से 0–07 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किये गये कब्जे से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

# डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)**
**ब ईजलास — श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस**

अनवान

कमला देवी पत्नि रामदयाल मीणा नि. गोरदा तह. केकडी

वादी.........

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि मथुरालाल मीणा नि. टीटोडा माफी तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 183, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 73/2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम तख्तपुरा प0 ह0 गांगीथला तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 173/1 कुल किता 01 रकबा 1.7725 हैक्टेयर में से 0–07 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किये गये कब्जे से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.07.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner